[TO BE PUBLISHEDD IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11 March, 2020

S.O.__(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby exempts a Banking Company in respect of which the Central Government has issued a notification under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 49), from the application of the provisions of Sections 5 and 6 of the Competition Act, 2002, in public interest for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. Comp-05/6/2020-Comp-MCA]

K.V.R Murty 13/2020

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

का.आ.....(अ).- केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक बैंककारी कंपनी, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 के अधीन अधिसूचना जारी की है, को लोकहित में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और धारा 6 के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. कॉम्प-05/6/2020-कॉम्प-एमसीए]

के.वी. अर मूर्ति,

संयुक्त सचिव भारत सरकार